

आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 450/2025 (घारा 14 सिक्थोरिटाईजेशन)

आनंद राठी ग्लोबल फाईनेन्स लिमिटेड, चतुर्थ तल, राणी उपाराना टॉवर, सी-स्कीम, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स राधा राधा ज्वैलर्स
पता :- प्लॉट नम्बर 82-83, सिन्धी कॉलोनी स्कीम, बनीपार्क, जयपुर।
एवं 235, लौहरी बाजार, जयपुर।
2. श्री ओम प्रकाश अग्रवाल
3. श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल
4. श्री मान प्रकाश अग्रवाल
5. श्री सुनिल अग्रवाल
6. श्री शशि अग्रवाल
7. श्रीमती कीर्ति अग्रवाल
8. श्रीमती विनिता अग्रवाल
9. श्रीमती उमा अग्रवाल
प्लॉट नम्बर 82-83, सिन्धी कॉलोनी स्कीम, बनीपार्क, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :- श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 04.08.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.08.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी (1) श्री ओमप्रकाश अग्रवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 82, चौकडी हवाली शहर, बनीपार्क, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जिला जयपुर क्षेत्रफल 504.60 वर्गगज का 1/4 भाग (2) शशि अग्रवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 82, चौकडी हवाली शहर, बनीपार्क, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जिला जयपुर क्षेत्रफल 504.60 वर्गगज का 1/4 भाग (3) श्री सुनील अग्रवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 82, चौकडी हवाली शहर, बनीपार्क, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जिला जयपुर क्षेत्रफल 504.60 वर्गगज का 1/4 भाग (4) उमा अग्रवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 82, चौकडी हवाली शहर, बनीपार्क, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जिला जयपुर क्षेत्रफल 504.60 वर्गगज का 1/4 भाग (5) श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 83, चौकडी हवाली शहर, बनीपार्क, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जिला जयपुर क्षेत्रफल 504.58 वर्गगज का 1/4 भाग (6) मानप्रकाश अग्रवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 83, चौकडी हवाली शहर, बनीपार्क, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जिला जयपुर क्षेत्रफल 504.58 वर्गगज का 1/4 भाग (7) कीर्ति अग्रवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 83, चौकडी हवाली शहर, बनीपार्क, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जिला जयपुर क्षेत्रफल 504.58 वर्गगज का 1/4 भाग (8) विनिता अग्रवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 83, चौकडी हवाली शहर, बनीपार्क, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जिला

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जयपुर क्षेत्रफल 504.58 वर्गगज का 1/4 भाग को बन्धक रख कर राशि 02,50,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में अराफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.04.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 02,50,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 02,42,80,327/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.04.2025 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी (1) श्री ओमप्रकाश अग्रवाल के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 82, चौकडी हवाली शहर, बनीपार्क, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जिला जयपुर क्षेत्रफल 504.60 वर्गगज का 1/4 भाग (2) शशि अग्रवाल के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 82, चौकडी हवाली शहर, बनीपार्क, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जिला जयपुर क्षेत्रफल 504.60 वर्गगज का 1/4 भाग (3) श्री सुनील अग्रवाल के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 82, चौकडी हवाली शहर, बनीपार्क, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जिला जयपुर क्षेत्रफल 504.60 वर्गगज का 1/4 भाग (4) उमा अग्रवाल के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 82, चौकडी हवाली शहर, बनीपार्क, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जिला जयपुर क्षेत्रफल 504.60 वर्गगज का 1/4 भाग (5) श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 83, चौकडी हवाली शहर, बनीपार्क, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जिला जयपुर क्षेत्रफल 504.58 वर्गगज का 1/4 भाग (6) मानप्रकाश अग्रवाल के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 83, चौकडी हवाली शहर, बनीपार्क, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जिला जयपुर क्षेत्रफल 504.58 वर्गगज का 1/4 भाग (7) कीर्ति अग्रवाल के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 83, चौकडी हवाली शहर, बनीपार्क, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जिला जयपुर क्षेत्रफल 504.58 वर्गगज का 1/4 भाग (8) विनीता अग्रवाल के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 83, चौकडी हवाली शहर, बनीपार्क, सिन्धी कॉलोनी, बनीपार्क, जिला जयपुर



(Handwritten Signature)
जिला जजस्ट्र
(कलेक्टर) जयपुर

क्षेत्रफल 504.58 वर्गगज का 1/4 भाग का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आज दिनांक 04.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला माजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3584-85
24/9/25